लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 18 अगस्त – चण्डीगढ़ प्रशासन ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शहर में गैर आईएसआई चिन्हित हैलमेटों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

उक्त आदेश चण्डीगढ़ के जिला मैजिस्ट्रेट श्री ब्रिजेंद्र सिंह द्वारा दुर्घटना की स्थिति में मानवीय जीवन को खतरे से बचाने के लिए व निम्न गुणवत्ता के गैर आईएसआई चिन्हित हैलमेटों के विक्रय पर तुरंत प्रतिबंध लगाने हेतु दिया गया है। यह आदेश 20 अगस्त, 2010 से लागू होगा और 18 अक्टूबर, 2010 तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का पालन न करने वाले लोगों को भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत सजा दी जाएगी।